

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-२०११)

बाल विकास परियोजना कार्यालय सुपौली

जिला पुर्वी चम्पारण

शाप सं. 451/448

दिनांक 14/11/13

चयन पत्र

१. श्रीमति निर्मला कुमारी पति नन्दकिशोर पंडित जो
ग्राम कैलाशपुर

पो. शुक्लपुरा की स्थायी निवासी है, का ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में
ग्राम/टोला/मुहल्ला कैलाशपुर के ऑगनबाड़ी केन्द्र (क्रेड संहित)
११ के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक ३०/१०/१३ को

आयोजित वार्ड आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।


२. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-२०११ एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वाहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।

३. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

४. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधि पोषण के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी के आधार नहीं होगा


(पल्लवी कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

 सुपौली, पूर्वी चम्पारण ।
14/11/13

समाज कल्याण विभाग

(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-२०११)

बाल विकास परियोजना कार्यालय सुपौली

जिला सुपौली चम्पारण

ज्ञाप सं. 452-449

दिनांक 14/11/13

चयन पत्र

१. श्रीमति मंजू देवी पति मंगरू पाखवान जो
ग्राम पाजिअरवा

पे० पाजिअरवा की स्थायी निवासी है, का ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में
ग्राम/टोला/मुहल्ला पाजिअरवा के ऑगनबाड़ी केन्द्र (कोड संहित)
122 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 29/11/13 को
आयोजित वाई आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।

२. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस०
निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-२०११ एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ प्रमाण-पत्रों के
आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने
कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वाहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपका कार्यमुक्त किया
जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के
पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में
पुनर्चयनित किया जा सकेगा।

३. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

४. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने सम्बंधी घोषण के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का
दावा सरकारी नौकरी के आधार नहीं होगा

(फल्लवी कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

14/11/13 सुपौली, पूरबी चम्पारण।

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-२०११)

बाल विकास परियोजना कार्यालय सुगौली

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं. 153/150

दिनांक 14.11.13

चयन पत्र

१. श्रीमति श्रीमती रवातन पति असारुल झाड़ी जो
ग्राम पाजिरवा
पो. पाजिरवा की स्थायी निवासी है, का ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में
ग्राम/टोला/मुहल्ला पाजिरवा के ऑगनबाड़ी केन्द्र (कोड संहित)
123 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 29/11/13 के

आयोजित वार्ड आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।

२. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-२०११ एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वाहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।

३. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

४. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने सम्बंधी घोषण के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी के आधार नहीं होगा


(पल्लवी कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

सुगौली, पूर्वी चम्पारण।
14/11/13

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समेकित बात विकास सेवाएँ निदेशालय)

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-२०११)

बाल विकास परियोजना कार्यालय सुशोली

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं. १४-४४५-४५१

दिनांक 14/11/13

चयन पत्र

१. श्रीमति इन्द्रावती टैवी पति श्री रामाचार प्रसाद जो
ग्राम फुलवरिया

पो. फुलवरिया की स्थायी निवासी है, का ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में
ग्राम/टोला/मुहल्ला फुलवरिया के ऑगनबाड़ी केंद्र (कोड संहित)
०४ के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक ३१/१२/२०१३ को

आयोजित वार्ड आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।

२. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-२०११ एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वाहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी ऑगनबाड़ी केंद्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।

३. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केंद्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

४. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषण के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केंद्र के संचालनार्थ विये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी के आधार नहीं होगा।

पल्लवी कुमारी
(पल्लवी कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

सुनीली
14/11/13

सुनीली, पूर्वी चम्पारण।

(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-२०११)

बाल विकास परियोजना कार्यालय सुगौली

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं. 446 452


दिनांक 14/11/13

चयन पत्र

१. श्रीमति सीमा कुमारी पति नवल किशोर स्वामी जो
ग्राम सीहवा
पो० सुपुर्वा, कटहरा की स्थायी निवासी है, का ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में
ग्राम/टोला/मुहल्ला सीहवा के ऑगनबाड़ी केन्द्र (कोड सहित)
७४ के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक २१/११/१३ को
आयोजित वार्ड आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
२. आपको चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस०
निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-२०११ एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ प्रमाण-पत्रों के
आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने
कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वाहन नहीं किया जाता है तो आपको चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया
जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के
पद के लिए आपको दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में
पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
३. सेविका/सहायिका के रूप में आपको चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
४. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपको चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने सम्बंधी घोषण के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का
दावा सरकारी नौकरी के आधार नहीं होगा।


(पल्लवी कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

 सुगौली, पूर्वी चम्पारण।
14/11/13 -

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-२०११)

बाल विकास परियोजना कार्यालय सुगौली

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं. 447/453

दिनांक 14/11/13

चयन पत्र

१. श्रीमति उर्मिला देवी पति यादुनाथ साह जो
ग्राम विशुनपुरा
पो. सुगौली की स्थायी निवासी है, का अँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में
ग्राम/टोला/मुहल्ला विशुनपुरा के अँगनवाड़ी केन्द्र (कोड संकेत)
146 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 14/11/13 को
आयोजित वार्ड आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
२. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस०
निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-२०११ एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ प्रमाण-पत्रों के
आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने
कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वाहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया
जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी अँगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के
पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में
पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
३. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
४. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने सम्बंधी घोषण के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का
दावा सरकारी नौकरी के आधार नहीं होगा।

(पल्लवी कुमारी)

बाल विकास परियोजना प्रदायिका

सुगौली, पूर्वी चम्पारण ।
14/11/13.

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-२०११)

बाल विकास परियोजना कार्यालय सुशौली

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं. ४४९/४४५

दिनांक 14/11/13

चयन पत्र

१. श्रीमति लीलावती देवी पति सौमप्रकाश प्रसाद जो
ग्राम धर्मपुर

पो. धर्मपुर की स्थायी निवासी है, का ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में
ग्राम/टोला/मुहल्ला धर्मपुर के ऑगनबाड़ी केन्द्र (कोड संहित)

१० के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 25/11/13 को
आयोजित वार्ड आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।


२. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-२०११ एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वाहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।

३. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

४. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपको चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने सम्बंधी घोषण के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी के आधार नहीं होगा।


(प्रवीण कुमार)

बाल विकास परियोजना प्रदायिका

 सुशौली, पूर्वी चम्पारण ।
14/11/13

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-२०११)

बाल विकास परियोजना कार्यालय सुपौली

जिला पूरबी चम्पारण

ज्ञाप सं. 444-446

दिनांक 14/11/13

चयन पत्र

१. श्रीमति सौ. सुनी कुमारी पति पद्मनाभ/ 21.12.9 जो
ग्राम शौड़ीगावा

पो. माली की स्थायी निवासी है, का अँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में

ग्राम/टोला/मुहल्ला शौड़ीगावा के अँगनबाड़ी केन्द्र (कोड संहित)

31 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 26/10/13 को

आयोजित वार्ड आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।

२. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-२०११ एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वाहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी अँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।

३. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

४. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने सम्बंधि पोषण के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी के आधार नहीं होगा।


(पञ्जवी कुमारी)

बाल विकास परियोजना पर्याप्तकारी

 सुपौली, पूरबी चम्पारण।
14/11/13

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-२०११)

बाल विकास परियोजना कार्यालय सुपौली

जिला पूर्वी चम्पारण

शाप सं. 450 447

दिनांक 14/11/13

चयन पत्र

9. श्रीमति सौनी कुमारी पति विवेक कुमार सिंह जो
ग्राम लालपुरसा

पो. सुकुल/पाकड़ा की स्थायी निवासी है, का ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में
ग्राम/टोला/मुहल्ला लालपुरसा के ऑगनबाड़ी केन्द्र (कोड संहित)
83 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 28/11/13 के

आयोजित वार्ड आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।

2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-२०११ एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वाहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।

3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

4. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने सम्बंधी घोषण के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी के आधार नहीं होगा।


(पल्लवी कुमारी)

बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षिका

 सुपौली, पूर्वी चम्पारण ।
14/11/13.